

भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून  
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001  
दूरभाष: 0135-2650809  
फैक्स-0135-2653010  
ईमेल- [moef.ddn@gov.in](mailto:moef.ddn@gov.in)



सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &  
CLIMATE CHANGE  
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN  
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001  
PHONE- 0135-2650809  
FAX- 0135-2653010  
Email- [moef.ddn@gov.in](mailto:moef.ddn@gov.in)

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/137/2021/एफ0 सी0/1814

दिनांक: 31/03/2022

सेवा में,

- ✓ अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी  
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद-चमोली में आल्यू से चलियापानी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.383 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (Online No. FP/UK/ROAD/145620/2021)

सन्दर्भ:- कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक - 2232/FP/UK/ROAD/145620/2021 दिनांक 23-03-2022


महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि संदर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 07.01.2022 का उत्तर प्रस्तुत किया गया है। बिन्दु क्र० 03 के जवाब में प्रस्तुत उत्तर में निम्नलिखित कमियां पाई गई हैं। राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनायें प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:-

1. यह पाया गया है कि वर्तमान मार्ग से लाभान्वित ग्राम आल्यू की पैदल दूरी 500 मी० है, इस संबंध में राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण PWD के norms के अनुसार ग्राम को जोड़ने हेतु नियमों के संबंध में जानकारी तथा टिप्पणी प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
2. प्रस्ताव के अवलोकन उपरान्त यह ज्ञात होता है कि क्षेत्र में पूर्व से ही मार्ग उपस्थित है तथा घने वन क्षेत्र से अतिरिक्त मार्ग का औचित्य स्पष्ट नहीं है।
3. प्रस्ताव में वैकल्पिक संरक्षण का भी उचित परीक्षण नहीं किया गया है। अतः राज्य सरकार प्रस्तावित connectivity हेतु वैकल्पिक संरक्षण का उचित परीक्षण कर पूर्ण जानकारी प्रेषित करने का कष्ट करें।

उपरोक्त त्रुटियों की पूर्तता के उपरान्त ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी एवं यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

  
(टी० सी० नौटियाल)  
उप महानिरीक्षक, वन (के०)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।

(टी० सी० नौटियाल)  
उप महानिरीक्षक, वन (के०)

## ।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

Email-dfo\_badrinath\_uta@yahoo.co.in

Phone no-01372-252175

पत्रांक 4438/12-1, गोपेश्वर, दिनांक 11/04/2022।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली को उपरोक्तानुसार इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में लगाये गये कमियो का बिन्दुवार विस्तृत स्पष्ट आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करे।

प्रभागीय वनाधिकारी,  
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

निर्गमनार्थ प्राधिकृत  
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर  
(चमोली)